अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर .मुकाम. ब्यावर

श्री छोटू व अन्य बनाम श्री हरिराम व अन्य

किस्म मुकदमा उजरा५ नं. 12 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-3-19	वकील डिग्रिदार उपस्थित। वकील डिग्रिदार ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किए कि यह इजराय दिनांक 14.06.2017 को पेश कर कथन किए कि न्यायालय द्वारा पारित डिग्री दिनांक 29.07.2008 व संशोधित डिग्री दिनांक 06.07.2010 अनुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किया जावे। वकील डिग्रिदार की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्र क्रमांक/भूअ/17/5495 दिनांक 31.10.2018 में कथन किए हैं कि वादग्रस्त खसरा नम्बरान में से ख.नं. 193 तथा 198/1 का ईजराय डिग्री तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2073–76 में मिलान नहीं होता है। ख.नं. 35 में वादीगण/प्रतिवादीगण का नाम ना होकर अन्य खातेदार सुन्दरी पत्नि मिश्रीलाल कौम गूजर का नाम दर्ज है। वकील डिग्रिदार द्वारा पूर्व में दिनांक 24.10.2018 को प्रेषित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी में खसरा संख्या 193 का रकबा 00–02–00 चाह होना बताया है तथा खसरा संख्या 198/1 का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार रकबा 01–10–00 अंकित है जबकि डिग्री में रकबा 03–00–00 बीघा अंकित है जिसके बारे में वकील डिग्रिदार ने कोई कथन नहीं किये हैं। खसरा संख्या 120/2 रकबा 00–02–00 श्री सरकार के नाम अंकित है जो किसी की खातेदारी में अंकित किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा खसरा संख्या 35 रकबा 01–00–00 बीघा सुन्दरी पत्नि मिश्रीलाल कौम गूजर सा. देह खातेदार दर्ज है जो वाद में पक्षकार ही नहीं है एवं वकील डिग्रिदार ने इस आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 में न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किए हैं। वकील डिग्रिदार के कथनानुसार यदि खसरा संख्या 35 को डिग्री के बाद का अन्तरण माना जावे तो भी श्रीमती सुन्दरी को पक्षकार बनाया जाकर सुनना आवश्यक है जिसके बिना ईजराय की पालना किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में सरकारी खसरा होने से तथा रकबे का मिलान नहीं होने के कारण भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईजराय की पालना संभव नहीं है। अधिवक्ता वादी उक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए नया/संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः उक्त आशय के साथ यह ईजराय इसी स्तर पर ड्राप की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। आदेश आज दिनांक 18.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। इजराय फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.11.30 16:26:14 IST
Reason: SelfAttested